न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– मूलचन्द, आर.ए.एस

अपील संख्या 2015/00171 (162/2015) 225 आरटीएक्ट

छबीलाराम पुत्र खेताराम जाति जाट साकिन साहूवाला तहसील भादरा

——अपीलान्ट

—: बनाम :—

1. टीकूराम } पि0 अमीलाल जाति जाट साकिन साहूवाला तहसील भादरा
2. ताराचन्द }
3. जोधाराम }
4. उर्मिला पत्नी शेरसिह जाति जाट साकिन साहूवाला तहसील भादरा
5. मुकेश } पि0 शेरसिह जाति जाट साकिन साहूवाला तहसील भादरा
6. किरसन }
7. रोशनी पुत्री अमीलाल पत्नी दयाराम जाति जाट साकिन बरवाली तहसील नोहर
8. कृष्णा पुत्री अमीलाल पत्नी हनुमान जाति जाट साकिन बरवाली तहसील नोहर
9. विकास पुत्र रामसिंह जाति जाट साकिन साहूवाला तहसील भादरा
10. मैना पुत्री रामसिंह पत्नी सुरेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट साकिन जोगीवाला तहसील भादरा ।
11. तोपा पुत्री रामसिंह पत्नी लीलू खां पुत्र औमप्रकाश जाति जाट साकिन जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ ।
12. कमला पुत्री रिछपाल पत्नी महेन्द्र जाति जाट साकिन कुंजी त0 भादरा
13. मामकोरी पत्नी रिछपाल हरीसंह जाति जाट निवासी झाड़सर तहसील तारानगर
14. विद्या पुत्री रिछपाल पत्नी हरिसिंह जाति जाट साकिन झाड़सर तहसील तारानगर जिला चूरू।
15. सुरेश } पि0 रिछपाल जाति जाट साकिन साहूवाला तहसील भादरा
16. राजू }
17. रूकमा पत्नी स्व0 किशनलाल जाति जाट साकिन साहूवाला त0 भादरा
18. सवित्री पुत्री किशनलाल पत्नी मनीराम जाति जाट साकिन ताजीया तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
19. ओमी पुत्री किशनलाल पत्नी रामदयाल जाति जाट ाकिन ताजीया तहसील व जिला सिरसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not official

20. ताराचन्द } पि0 किशनलाल जाति जाट साकिन साहूवाला त0 भादरा
21. राहता }

22. विमला पुत्री किशनलाल पत्नी मोहनलाल पुत्र दुर्गाराम जाति जाट साकिन जोगीवाला तहसील भादरा

23. सरोज पुत्री किशनलाल पत्नी पप्पू पुत्र दुर्गाराम जाति जाट साकिन जोगीवाला तहसील भादरा

24. रामकिशन } पि0 गोवर्धन जाति महाजन साकिन साहूवाला तहसील भादरा
25. मदनलाल }

26. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा

27. मांगेराम पुत्र बुधराम जाति जाट साकिन साहूवाला त0 भादरा

28. भूपसिंह पुत्र पूराराम जाति जाट साकिन साहूवाला त0 भादरा

—— रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 29.09.2015 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, भादरा प्रकरण संख्या 87/2015 छबीलाराम बनाम टीकूराम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं. 26

निर्णय दिनांक — 25.07.2019

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि जब तक खाता विभाजन न हो जाए तब तक अप्रार्थी वादग्रसत भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल नहीं करने एवं भूमि का कब्जा प्राप्त न करें तथा न ही बैयनामा का अन्तरण करे। अप्रार्थी मामकौरी आदि का धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश हुआ। धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के तथ्यों के आधार पर 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया है।
2. रेस्पोडेण्ट के सम्मन रजिस्टर्ड जारी किये गये। रेस्पोडेण्ट की तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में दावा घोषणा का था जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुआ। अपीलाण्ट अभिलिखित खातेदार काश्तकार है। प्रश्नगत भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें अन्य हिस्सेदार ने बेचान किया किन्तु अपीलाण्ट के पिता के हिस्से की 6 बीघा भूमि कम कर दी जिसकी दुरूस्ती के लिए दावा पेश किया गया है। दौराने दावा रेस्पोडेण्ट सं0 5 ने सहखातेदार रेस्पोडेण्ट सं0 27, 28 को बय कर दी। धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना–पत्र 151 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर खारिज किया गया है जो विधि सम्मत नहीं है। अजनबी क्रेता बिना खाता विभाजन करवाये भूमि में प्रवेश नहीं कर सकता है। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र पर रेसज्यूडीकेटा का सिद्धान्त लागू नहीं होता क्योंकि परिस्थितियों के अनुसार 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना–पत्र कभी भी लाया जा सकता है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने राज्यहितों को सुरक्षित रखते हुए निर्णय पारित करने का कथन किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय में घोषणा का दावा पेश हुआ जिसमे अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया है। धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि सभी पक्षकारान को तलब नहीं किया गया है। निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया है। जहां तक अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र पर रेस्ज्यूडीकेटा का प्रश्न है परिस्थिति के अनुसार अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र पुनः पेश की जा सकती है। सभी पक्षकारों की तामील कराए बिना निस्तार किया गया है। प्रार्थना–पत्र का जवाब भी पेश नहीं हुआ और गुणागवुण पर विचार किए बिना सरसरी तौर पर निस्तार किया गया है। प्रार्थना–पत्र मे संयुक्त खाते की भूमि होना अंकित किया है जिसके सबंध में दावा में साक्ष्यों के परीक्षण के आधार पर अन्तिम निर्णय होना है। पूर्व में प्रार्थना–पत्र का निर्णय किया गया है जिमसें पक्षकारान को विशिष्ट हिस्से को नहीं बेचने हेतु पाबन्द किया गया है और अपना हिस्सा एवं विक्रित हिस्से के नामान्तरण करवाने की छूट दी गई है किन्तु अजनबी क्रेता के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया है। ऐसी स्थिति मे प्रभावित पक्षकार को

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पुनः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र लाने का अधिकार है। अतः अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है कि सभी पक्षकारान को गुणावगुण निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है उपखण्ड अधिकारी, भादरा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.09.2015 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी पक्षकारान को सुनकर गुणावगुण पर प्रकरण का निस्तारण करे। तब तक कोई भी अजनबी क्रेता बिना खाता विभाजन करवाए विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं करें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांक 25.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25/7/19

(मूलचन्द आरएएस)

राजस्व अपील प्राधिकारी

हनुमानगढ